विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) – सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQ) –

---

1. विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) क्या है?

विशेष गहन पुनरीक्षण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

SIR के दौरान, ERO (Electoral Registration Officer) यह सुनिश्चित करेंगे कि नाम जोड़ने से पहले आवश्यक पात्रता की पूरी जांच हो।

---

2. एन्यूमरेशन / गणना फ़ॉर्म क्या है?

SIR अवधि में, यदि आपका नाम 2025 की वर्तमान मतदाता सूची में है, तो सूची में दर्ज जानकारी की पुष्टि के लिए एक *एन्यूमरेशन/गणना फ़ॉर्म* भरना और हस्ताक्षर करके जमा करना आवश्यक है।

आपकी अनुपस्थिति में परिवार का कोई अन्य सदस्य यह फ़ॉर्म भरकर जमा कर सकता है।

यह फ़ॉर्म BLO द्वारा आपके घर पर दो प्रतियों में दिया जाएगा। या आप V**oters.eci.gov.in** या **ECINET** ऐप से ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।

---

3. एन्यूमरेशन/गणना फ़ॉर्म कहाँ और कैसे मिलेगा?

फ़ॉर्म आपको **BLO (Booth Level Officer)** से मिलेगा। वे मतदाता नाम, फोटो, पते और अन्य विवरण सहित दो प्रतियां आपके घर पर उपलब्ध कराएँगे।

यदि आप चाहें तो ECINET ऐप या voters.eci.gov.in से स्वयं भी ऑनलाइन भरकर जमा कर सकते हैं।

---

4. एन्यूमरेशन/गणना फ़ॉर्म कहाँ जमा किया जा सकता है?

- फ़ॉर्म भरकर और हस्ताक्षर करके BLO को जमा करें।
- यदि आप घर से बाहर हैं या व्यस्त हैं तो ECINET ऐप या voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।
- आप स्वयं या परिवार का कोई सदस्य BLO के पास सीधे भी जमा कर सकता है।

---

5. फ़ॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?

एन्यूमरेशन/गणना फ़ॉर्म BLO को या ऑनलाइन जमा करने की *अंतिम तिथि **4 दिसंबर 2025** है।*

---

7. अपने क्षेत्र के BLO की जानकारी कैसे प्राप्त करें?

BLO आपके क्षेत्र का नियुक्त बूथ-स्तरीय अधिकारी होता है।

- वे घर-घर जाकर फ़ॉर्म देंगे, लेंगे और सहायता करेंगे।
- आप उनका पहचान-पत्र देखकर सत्यापित कर सकते हैं।

BLO की जानकारी प्राप्त करने के लिए: ECINET ऐप या eci.gov.in पर जाएँ → "**Search Your Name in EROLL**" → अपना EPIC नंबर डालें। (https://electoralsearch.eci.gov.in/uesfmempmlkypo)

---

8. ERO (Electoral Registration Officer) कौन है? उनका कार्य क्या है?

ERO निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी है। उनकी ज़िम्मेदारी है कि पूरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का सही रूप से पुनरीक्षण और प्रबंधन हो।

उनके अधीन BLO, AERO और सुपरवाइज़र काम करते हैं।

---

9. BLO किस प्रकार सहायता करेगा?

- घर पर आकर दो प्रतियाँ देगा।
- फ़ॉर्म भरने में मदद करेगा।
- भरा हुआ फ़ॉर्म लेकर उसकी रसीद वापस देगा

---

10. क्या ऑनलाइन फ़ॉर्म जमा करने की सुविधा है?

हाँ।
आप ECINET ऐप या voters.eci.gov.in के माध्यम से मोबाइल नंबर और EPIC नंबर डालकर ऑनलाइन फ़ॉर्म जमा कर सकते हैं।

---

11. ECINET क्या है?

ECINET भारत निर्वाचन आयोग का आधिकारिक मोबाइल ऐप है।
इसके माध्यम से यह सुविधाएँ मिलती हैं:

- नाम जोड़ने/सुधार के लिए आवेदन
- BLO/बीएलओ से संपर्क
- शिकायत दर्ज करना
- उम्मीदवारों की जानकारी
- आदर्श आचार संहिता शिकायत
- मतदान प्रतिशत
- अन्य चुनाव संबंधी जानकारी

---

12. जो लोग स्थायी रूप से घर से बाहर रहते हैं, वे फ़ॉर्म कैसे जमा करेंगे?

ऐसे मतदाता **ECINET** ऐप या **voters.eci.gov.in** के माध्यम से मोबाइल नंबर और EPIC नंबर से फ़ॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

---

13. फ़ॉर्म जमा करने के बाद मतदाता को आगे क्या करना चाहिए?

जब **ड्राफ्ट मतदाता सूची** प्रकाशित हो जाए, तो आपको यह ज़रूर जांचना चाहिए कि:

- आपका नाम सूची में सही रूप से मौजूद है या नहीं?
- विवरण सही हैं या नहीं?

सूची BLO के पास उपलब्ध होगी और ऑनलाइन भी ECINET ऐप तथा voters.eci.gov.in पर देखी जा सकती है।

---

14. ड्राफ्ट मतदाता सूची कब प्रकाशित होगी?

9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी।

---

15. कैसे पता करें कि ड्राफ्ट सूची में आपका नाम है या नहीं?

आप निम्न माध्यमों से जांच सकते हैं:

a) BLO के पास उपलब्ध सूची
b) ECINET ऐप पर EPIC नंबर से
c) voters.eci.gov.in पर EPIC से
d) CEO Chhattisgarh की वेबसाइट पर खोजकर

---

16. यदि ड्राफ्ट सूची में नाम न हो तो क्या करें?

यदि आपका नाम सूची में नहीं है:

आप **Form 6** भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ BLO को दें या ECINET/voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन जमा करें।

---

17. मतदाता सूची में नया नाम कैसे जोड़ा जाए?

इसके लिए **Form 6** भरकर BLO को जमा करें या ऑनलाइन ECINET/voters.eci.gov.in से आवेदन जमा कर सकते हैं।

Sample **Enumeration Form**

यहां मतदाता की जानकारी पहले से भरी रहेगी

भारत का चुनाव आयोग

गणना प्रपत्र

Name and contact No of BLO:

निर्वाचक का नाम: ईपीआईसी(इपिक): पता:	क्रम संख्या: भाग संख्या एवं नाम: विधानसभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम: राज्य का नाम:			वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ

जन्मतिथि(दिन/माह/वर्ष)	यहां मतदाता का जन्म तिथि भरें
आधार संख्या (वैकल्पिक)	यहां मतदाता का आधार संख्या भरें
मोबाइल नंबर	यहां मतदाता का मोबाईल नंबर भरें
पिता/अभिभावक का नाम	यहां मतदाता के पिता/अभिभावक का नाम भरें
पिता/अभिभावक का इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो)	यहां मतदाता के पिता/अभिभावक का ईपिक संख्या भरे
माता का नाम	यहां मतदाता के माता का नाम भरें
माता का इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो)	यहां मतदाता के माता का ईपिक संख्या भरें
पति या पत्नी का नाम (यदि लागू हो)	यहां मतदाता के पति या पत्नि का नाम भरें
पति या पत्नी का नाम इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध है)	यहां मतदाता के पति या पत्नि का ईपिक संख्या भरें

पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण		**पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, पिछले एसआईआर के अनुसार**	
निर्वाचक का नाम:	यदि मतदाता के स्वयं का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची मे दर्ज है तो वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार यहां जानकारी भरें।	नाम:	यदि मतदाता के स्वयं का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची मे दर्ज नही है किंतु उनके माता/पिता/दादा/दादी मे से किसी एक का नाम दर्ज है तो वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार माता/पिता/दादा/दादी मे से किसी एक की जानकारी यहां भरें।
इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो):		इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो):	
रिश्तेदार का नाम:		रिश्तेदार का नाम:	
रिश्ता:		रिश्ता:	
जिला:		जिला:	
राज्य का नाम:		राज्य का नाम:	
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम:		विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम:	

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या:	भाग संख्या	क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या:	भाग संख्या	क्रम संख्या
वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार यहां जानकारी भरें।			वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार यहां जानकारी भरें।		

(i) उपर्युक्त निर्वाचक ने, स्वयं मैंने/मेरे परिवार के सदस्य ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है।

(ii) मैं मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूं, और ऊपर उल्लिखित नाम, मेरा/मेरे परिवार के सदस्य का होने के नाते, किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र/संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है।

(iii) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर उल्लिखित निर्वाचक होने के नाते, मैं/मेरे परिवार का सदस्य भारत का/की नागरिक हूं और मुझे ज्ञात है कि इस आवेदन के संबंध में कोई ऐसा कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिसके बारे में मैं जानता/मानता हूं कि वह मिथ्या है या जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अंतर्गत एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान (रिश्ते का उल्लेख करें) तिथि सहित

बीएलओ की घोषणा: मैंने उपरोक्त विवरण को पिछले एसआईआर मतदाता सूची से सत्यापित कर लिया है।

बीएलओ के हस्ताक्षर